संख्या-58/2022/449/22-2-2022-17(378)/2022

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ हल्के पुत्र श्री बृजभान सिंह निवासी जनपद-ललितपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7419/प्रोवेशन-3/फार्म-ए (एम-10.01.2022) दिनांक-09.03.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ हल्के पुत्र श्री बृजभान सिंह, ग्राम-दैलवारा, थाना-कोतवाली ललितपुर, जनपद-ललितपुर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 26.03.2005 को समय सांय लगभग 4:30 बजे 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर बालमुकुन्द की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2005 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149, 452,323/149, के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 21.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 16 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध कर सकने, दलित समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने एवं समाज में दहशत व्याप्त होने, बन्दी झगड़ालू व दबंग किस्म का व्यक्ति होने, के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने गाली-गलौज होने व विवाद बढ़ने पर दिनांक 26.03.2005 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे और लाठी डंडों से बालमुकुन्द की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का समाज में भय व्याप्त होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा गठित समिति की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ हल्के पुत्र श्री बृजभान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ हल्के (बन्दी संख्या-17113) पुत्र श्री बृजभान सिंह, निवासी जनपद-ललितपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-58/2022/449(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2- श्री कृष्णानन्द पाण्डेय, ए0ओ0आर0, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-58/2022/449/22-2-2022-17(378)/2022

दिनांक 28 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ हल्के पुत्र श्री बृजभान सिंह, ग्राम-दैलवारा, थाना-कोतवाली ललितपुर, जनपद-ललितपुर का निवासी है। बंदी ने दिनांक 26.03.2005 को समय सांय लगभग 4:30 बजे 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर बालमुकुन्द की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-23/2005 में भा0द0वि0 की धारा-148,302/149, 452,323/149, के अन्तर्गत मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 21.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 21.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 16 वर्ष, 02 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध कर सकने, दलित समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने एवं समाज में दहशत व्याप्त होने, बन्दी झगड़ालू व दबंग किस्म का व्यक्ति होने, के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने गाली-गलौज होने व विवाद बढ़ने पर दिनांक 26.03.2005 को 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे और लाठी डंडों से बालमुकुन्द की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का समाज में भय व्याप्त होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा गठित समिति की मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रोबेशन बोर्ड द्वारा प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र सिंह उर्फ हल्के पुत्र श्री बृजभान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।